


08⁰⁵/₂₅

पत्रावली पेसा हुई। आभी० वादी अनु०।
वादी भी अनुपस्थित। तीन बार कक-कक
कर आवाज लगाई गई, लेकिन कोई भी
उपस्थित ~~नहीं~~ नहीं हुआ। अतः प्रकरण
अन्तर्गत आदेश ७ नियम ४ CPC अदम
हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर बाद तामील
तकमील दाखिल दफतर है।



उपखण्ड अधिकारी
पिठावा जिला झालावाड़ (राज.)

